



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02122021-231551  
CG-DL-E-02122021-231551

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4582]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 2, 2021/अग्रहायण 11, 1943

No. 4582]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 2, 2021/AGRAHAYANA 11, 1943

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय  
(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2021

का.आ. 4953(अ).— केंद्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 2 के खंड (घ) और धारा 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 17 अक्टूबर, 2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित का.आ. सं. 2666, तारीख 16 अक्टूबर, 2014 की भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्,

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के पैरा (3), उप-पैरा (viii) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक को रखा जाएगा, अर्थात्,

"परन्तु यह और कि पैरा 1 के क्रमांक (xix), (xx) और (xxi) में सूचीबद्ध पशुधन उत्पादों, जिन्हें यहां प्रथम परंतुक के अधीन शामिल नहीं किया गया, और उसी पैरा के क्रमांक (xxii) तथा (xxiii) में सूचीबद्ध पशुधन उत्पादों के लिए यदि निर्यातक देश में निर्माता का अधिकृत अधिकारी प्रत्येक प्रेषित माल के साथ बीजक पर घोषणा करता है कि 'उत्पाद टैनिंग की अपरिवर्तनीय प्रक्रिया से गुजरा है' तो संबंधित संगरोध अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।"

[फा. सं. एल-110110/17/2017-व्यापार (ई-15243)]

गिरजा नन्द सिंह, संयुक्त सचिव

**टिप्पणः** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii), अधिसूचना संख्या का. आ. 2666 (अ) तारीख 17 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या का. आ. 3356 (अ), तारीख 10 दिसंबर, 2015, का. आ. 2640 (अ), तारीख 3 अगस्त, 2016, का. आ. 3112 (अ), तारीख 30 सितंबर, 2016, का.आ. 948 (अ), तारीख 22 मार्च, 2017, का.आ. 2486 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2017, का.आ. 5758 (अ), दिनांक 16 नवंबर, 2018, का.आ. 2679 (अ), तारीख 10 अगस्त, 2020 और का.आ. 4559 (अ), तारीख 16 दिसंबर, 2020 द्वारा संशोधित की गई थी।

## MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2021

**S.O. 4953(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 and section 3A of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries number S.O. 2666, dated the 16th October, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 17th October, 2014, namely:-

In the said notification, in the Schedule, in paragraph (3), in sub-paragraph (viii), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that for the livestock products listed at serial numbers (xix), (xx) and (xxi) of paragraph 1 which are excluded under the first proviso herein, and for the livestock products listed at serial numbers (xxii) and (xxiii) of that paragraph, no objection certificate from the concerned Quarantine Officer shall not be required if the authorized officer of manufacturer in exporting country gives a declaration on invoice along with each consignment stating that 'the product has undergone the irreversible process of tanning'."

[F. No. L-110110/17/2017-Trade (E-15243)]

GIRJA NAND SINGH, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 2666(E), dated the 17th October, 2014 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 3356(E), dated the 10th December, 2015, S.O. 2640(E), dated the 3rd August, 2016, S.O. 3112(E), dated the 30th September, 2016, S.O. 948(E), dated the 22nd March, 2017, S.O. 2486(E), dated the 4th August, 2017, S.O. 5758(E), dated the 16th November, 2018, S.O. 2679(E), dated the 10th August, 2020 and S.O. 4559(E), dated the 16th December, 2020.